राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम</th><th>प्रत्यर्थीगण का नाम</th><th>प्रस्तुतिकरण की दिनांक</th><th>आलोच्य आदेश दिनांक एवं अनुलग्नक</th><th>अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2946 / 2025
रामलाल यादव,
कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)</td><td rowspan="2">1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त कृषि, कृषि विभाग, जयपुर।</td><td rowspan="2">28.05.2025</td><td>20.05.2025
(अनुलग्नक–2)</td><td rowspan="2">श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2947 / 2025
संजय कुमार चन्देल,
कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य)</td><td>20.05.2025
(अनुलग्नक–1)
एवं
कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 26.05.2025
(अनुलग्नक–2)</td></tr>
</table>

आदेश की दिनांक : 30.06.2025

समक्ष :– **चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2946 / 2025 रामलाल यादव बनाम प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के पद पर जैव कीटनाशी प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 20.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मृदा परीक्षण प्रयोगशाला,

बयाना कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, भरतपुर किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की कोई शिकायत नहीं रही है और अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 250 कि.मी. दूर किया गया है। जबकि स्थानांतरण आदि पर राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध के बावजूद मुख्यमंत्री कार्यालय से बिना अनुमति के अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी के स्थान पर किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है और इस प्रकार किया गया अपीलार्थी का स्थानांतरण विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.05.2025 को अपास्त फरमाते हुये अपीलार्थी को यथा स्थान पर कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कृषि अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आलोच्य आदेश दिनांक 20.05.2025 के द्वारा अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण किया गया है, जो शासन उप सचिव द्वारा जारी किया गया है, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से बिना स्वीकृति प्राप्त किये आलोच्य आदेश जारी किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है और इस प्रकार अपीलार्थीगण का यह तर्क निराधार है। अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किये जाने का प्रश्न है, स्थानांतरण सेवा का अभिन्न अंग है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें राज्य हित में कहां पर ली जानी है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपीलार्थीगण के संबंध में जारी किया गया स्थानांतरण आलोच्य आदेश में हम किसी प्रकार की नियम विरूद्धता नहीं पाते हैं। अतः उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की दोनों अपील खारिज फरमाये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की दोनों अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के प्रक्रम पर खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2946 / 2025 रामलाल यादव बनाम प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 2947 / 2025 संजय कुमार चन्देल में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य